2012:CGHC:130

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायाधीश श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 198/2010

याचिकाकर्ता श्रीमती पुष्पलता वर्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी संजय कुमार रजवाड़े

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 200/2010

याचिकाकर्ता श्रीमती पुष्पलता वर्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी सरजू प्रसाद रजवाड़े

प्रकरण दिनांक 6 फरवरी, 2012 को आदेश की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

2012:CGHC:130

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायाधीश श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 198/2010

याचिकाकर्ता श्रीमती पुष्पलता वर्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी संजय कुमार रजवाड़े

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 200/2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता श्रीमती पुष्पलता वर्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी सरजू प्रसाद रजवाड़े

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका)

उपस्थित: -

श्री एम. डी. धोटे, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री सुनील साहू, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता।

आदेश

(उद्घोषित किया गया दिनांक 06/02/2012 को)

उपर्युक्त दोनों याचिकाओं का निराकरण इस समान आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि समान तथ्यों पर आधारित विधि का समान प्रश्न, यद्यपि वह दो अलग-अलग चेक के संबंध में हैं, इसमें विचारार्थ उद्भूत हुआ है।

<u>वि. दा. या. क्र. 198/2010</u>

2. याचिका के निर्णय हेतु आवश्यक वर्तमान प्रकरण के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में "1881 का अधिनियम") की धारा 138 के अंतर्गत अपराध कारित किये जाने का आरोप लगाते हुए एक परिवाद दायर किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता, जो परिवादी की बहन है, ने भूमि क्रय करने हेतु 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी और परिवादी ने दिनांक 09-01-2006 को 3 लाख रुपये नकद और दिनांक 06-02-2006 को 2 लाख रुपये नकद का संदाय किया। उक्त दायित्व के उन्मोचन हेतु, याचिकाकर्ता के बैंक- आईसीआईसीआई बैंक, भिलाई शाखा का 5 लाख रुपये का एक दिनांकित 01-01-2009 चेक परिवादी को दिया गया था। उक्त चेक परिवादी द्वारा अपने बैंककार भारतीय स्टेट बैंक, मानिकपुर शाखा, कोरबा में प्रस्तुत किया गया था और चेक दिनांक 14-01-2009 के पृष्ठांकन

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के साथ बिना भुगतान के वापस आ गया कि चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादृत हो गया है। अपने बैंककार से सूचना प्राप्त होने पर, परिवादी ने पुनः याचिकाकर्ता-अभियुक्त से संपर्क किया, जिस पर याचिकाकर्ता ने सूचित किया कि परिवादी अप्रैल, 2009 तक भुनाने की कार्यवाही न करे, और उसके पश्चात इसे भुनाया जा सकता है। इसलिए, परिवादी ने पुनः दिनांक 13-05-2009 को अपने बैंककार- भारतीय स्टेट बैंक, मानिकपुर शाखा, कोरबा में चेक प्रस्तुत किया। चेक पुनः अपर्याप्त धनराशि के पृष्ठांकन के साथ दिनांक 13-06-2009 को अनादृत हो गया। दिनांक 18-06-2009 को एक पंजीकृत मांग सूचना (पावती देय) जारी की गई, जो दिनांक 10-07-2009 को बिना तामील हुए वापस आ गई। तत्पश्चात, दिनांक 27-07-2009 को एक अन्य पंजीकृत मांग सूचना (पावती देय) जारी की गई, जो याचिकाकर्ता-अभियुक्त को दिनांक 03-08-2009 को प्राप्त हुई, परंतु न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही राशि संदत्त की। उपर्युक्त परिवाद का संज्ञान लेते हुए, विद्वान दण्डाधिकारी ने दिनांक 03-10-2009 को याचिकाकर्ता-अभियुक्त के विरुद्ध 1881 के अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया और आदेशिका जारी की। याचिकाकर्ता ने परिवाद की पोषणीयता के विरुद्ध आपत्ति उठाते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 18-11-2009 को खारिज कर दिया गया और जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया, जिसके विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता ने धारा 482 द.प्र.सं. के अंतर्गत इस न्यायालय में याचिका दायर की है।

<u>वि. दा. या. क्र. 200/2010</u>

3. इस प्रकरण में, प्रत्यर्थी-परिवादी ने 1881 के अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध कारित किये जाने का आरोप लगाते हुए दण्डाधिकारी के समक्ष एक परिवाद दायर किया। परिवाद में यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने भूमि क्रय करने हेतु 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी, जिस पर प्रत्यर्थी-परिवादी ने दिनांक 04-03-2007 को 2 लाख रुपये नकद और दिनांक 13-04-2007 को 3 लाख रुपये नकद दिए। याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से उधार लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु उपर्युक्त दायित्व के उन्मोचन में, याचिकाकर्ता द्वारा परिवादी को 5 लाख रुपये की राशि का एक 01-01-2009 दिनांकित चेक दिया गया था। उक्त चेक परिवादी द्वारा अपने बैंककार भारतीय स्टेट बैंक, कोरबा शाखा में प्रस्तुत किया गया था और उक्त चेक दिनांक 16-01-2009 के पृष्ठांकन के साथ बिना भुगतान के वापस आ गया कि चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादृत हो गया है। जब याचिकाकर्ता से संपर्क किया गया, तो परिवादी को सूचित किया गया कि वह अप्रैल, 2009 तक इसे न भुनाए, और उसके पश्चात चेक प्रस्तुत किया जा सकता है। तत्पश्चात, परिवादी ने दिनांक 12-05-2009 को पुनः चेक प्रस्तुत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किया, जो पुनः दिनांक 21-05-2009 के पृष्ठांकन के साथ बिना भुगतान के वापस आ गया कि चेक पुनः अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादृत हो गया था और जब राशि के भुगतान और हस्ताक्षर हेतु याचिकाकर्ता से संपर्क किया गया, तो याचिकाकर्ता ने न तो चेक पर हस्ताक्षर किए और न ही राशि वापस की। परिवादी द्वारा चेक की राशि के भुगतान की मांग करते हुए दिनांक 18-06-2009 को एक पंजीकृत मांग सूचना (पावती देय) जारी की गई, जो दिनांक 10-07-2009 को बिना तामील हुए वापस आ गई। तत्पश्चात, एक अन्य पंजीकृत सूचना दिनांक 27-07-2009 (पावती देय) जारी की गई, जो याचिकाकर्ता को दिनांक 03-08-2009 को प्राप्त हुई, परंतु उसके पश्चात, न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही चेक की राशि संदत्त की गई। विद्वान दण्डाधिकारी ने दिनांक 03-10-2009 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करके 1881 के अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया और आदेशिका जारी की। याचिकाकर्ता ने परिवाद की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति उठाते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया और उसे खारिज करने की प्रार्थना की, जिसे दिनांक 18-11-2009 को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे वर्तमान याचिका उद्भूत हुई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दोनों प्रकरणों में परिवाद की पोषणीयता के साथ-साथ संज्ञान लेने हेतु न्यायालय के अधिकारिता के संबंध में साझा दलीलें दीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोनों प्रकरणों में, परिवाद के अनुसार भी, धन का संदाय भिलाई में किया गया था और चेक याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा भिलाई स्थित आईसीआईसीआई बैंक से आहरित किया गया था। दोनों प्रकरणों में, ऊपरवाल बैंक अर्थात भिलाई स्थित आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दो चेक अनादृत किए गए थे और दोनों प्रकरणों में पंजीकृत मांग सूचना भिलाई में दिनांक 03-08-2009 को प्राप्त होना बताया गया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफलता भी भिलाई में घटित हुई थी। इसलिए, कोरबा से सूचना देने को सूचना की तामीली पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। उनके तर्कों में, यद्यपि सूचना देना अनिवार्य है, परिवाद दायर करने हेतु वाद-कारण सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर संदाय करने में विफलता पर उद्भूत होगा जैसा कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 के खंड (ग) में उपबंधित है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि स्वयं परिवाद से प्रकट इन सभी तथ्यों को देखते हुए, कोरबा स्थित न्यायालय के पास केवल इस आधार पर कोई अधिकारिता नहीं होगा कि सूचना कोरबा से जारी की गई थी। याचिकाकर्ता-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया अन्य तर्क यह है कि दोनों प्रकरणों में, मांग की पहली सूचना परिवादी द्वारा दिनांक 18-06-2009 को दी गई बताई गई है, जबकि परिवाद दिनांक 11-09-2009 को दायर किया गया है,

इसलिए, 1881 के अधिनियम की धारा 142(ख) में निहित उपबंध के आलोक में परिवाद परिसीमा द्वारा वर्जित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि परिवाद परिसीमा द्वारा पूरी तरह वर्जित था क्योंकि विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 198/2010 में, चेक पहली बार दिनांक 14-01-2009 के पृष्ठांकन के साथ अनादृत हुआ था और विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 200/2010 में, चेक पहली बार दिनांक 16-01-2009 के पृष्ठांकन के साथ अनादृत हुआ था, जिसकी विधिवत संसूचना परिवादी को दी गई थी, परंतु परिवादी ने न तो भुगतान की मांग करने वाली कोई सूचना दी और न ही परिवाद दायर किया, अपितु मई, 2009 के महीने में चेक को पुनः प्रस्तुत करने के लिए की प्रक्रिया की, जिसे फिर से अनादृत होना बताया गया, जिसके पश्चात यह कथन किया गया कि सूचनाएं दी गईं और परिवाद दायर किया गया। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **सदानंदन भद्रन विरुद्ध माधवन सुनील कुमार, एआईआर 1998 एससी 3043, प्रभु दयाल मोदी विरुद्ध मेसर्स यूरो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य, 2011 सीआर.एल.जे. 110** और **हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य विरुद्ध नेशनल सोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2009) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 720** के प्रकरणों में निर्णयों का अवलंब लिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. इसके विपरीत, दोनों प्रकरणों में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि परिवाद न तो परिसीमा द्वारा वर्जित है और न ही इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है कि कोरबा स्थित न्यायालय का कोई अधिकारिता नहीं था। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 में निहित उपबंध कहीं भी यह आदेशित नहीं करते हैं कि चेक के अनादृत होने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के पश्चात, अनिवार्य रूप से मांग सूचना दी जानी चाहिए। उनके तर्क में, चेक की विधिमान्यता की अवधि के दौरान उसके एक से अधिक बार अनादृत होने के पश्चात, चेक पुनः प्रस्तुत किये जाने के विरुद्ध कोई वर्जन नहीं है। उनके अनुसार, परिवाद दायर करने हेतु विधि के अंतर्गत विहित परिसीमा की गणना मांग सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात की तिथि से की जानी चाहिए। इसलिए, परिसीमा की अवधि की गणना के उद्देश्य से, चेक का प्रथम अनादरण प्रासंगिक नहीं है, अपितु जो प्रासंगिक है, वह मांग और मांग सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफलता है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के उत्तर में तर्क प्रस्तुत किया कि परिवादी ने अपने बैंककार-भारतीय स्टेट बैंक, कोरबा शाखा में चेक प्रस्तुत किया था और याचिकाकर्ता को अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक के अनादृत होने के संबंध में अपने स्वयं के कोरबा

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

स्थित बैंककार से सूचना प्राप्त हुई थी और भुगतान की मांग करने वाली सूचना कोरबा से जारी की गई थी, इसलिए, कोरबा स्थित न्यायालय के पास अपराध का संज्ञान लेने का क्षेत्रीय अधिकारिता होगा। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पहली मांग सूचना बिना तामील हुए वापस आ गई, इसलिए, एक नई मांग सूचना जारी की गई, जो परिवाद में निहित आरोपों के अनुसार, याचिकाकर्ता पर दिनांक 03-08-2009 को ही तामील हुई थी। याचिकाकर्ता मांग सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहा, और उसके पश्चात, भुगतान करने में ऐसी विफलता पर, 1881 के अधिनियम की धारा 142(ख) के अंतर्गत विहित 30 दिनों की परिसीमा अवधि के भीतर परिवाद दायर किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **के. भास्करन विरुद्ध संकरण वैद्यन बालन और अन्य, (1999) 7 सुप्रीम कोर्ट केसेज 510, श्रीमती शमशाद बेगम विरुद्ध बी. मोहम्मद, 2009 सीआर.एल. जे. 1304 और मोहर सिंह विरुद्ध लखन सिंह, 2006(4) एम.पी.एच.टी. 184** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और दोनों याचिकाओं के अभिलेखों का परिशीलन किया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. दोनों प्रकरणों में, विचार और अवधारण हेतु निम्नलिखित समान विवाद्यक उद्भूत होते हैं:-

(अ) क्या कोरबा स्थित न्यायालय के पास याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1881 के अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध कारित होने का आरोप लगाने वाले परिवाद का संज्ञान लेने की क्षेत्रीय अधिकारिता थी ?

(ब) क्या दोनों प्रकरणों में परिवाद 1881 के अधिनियम की धारा 142(ख) के अंतर्गत प्रावधानित परिसीमा द्वारा वर्जित है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. संजय कुमार रजवाड़े द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1258 वर्ष 2009 (विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 198/2010) में दायर परिवाद में यह आरोप लगाया गया है कि परिवादी द्वारा याचिकाकर्ता-अभियुक्त को भिलाई में ऋण दिया गया था। 5 लाख रुपये का दिनांकित 01-01-2009 का चेक आईसीआईसीआई बैंक, भिलाई शाखा पर आहरित किया गया था। परिवाद यह दर्शाता है कि चेक आईसीआईसीआई बैंक भिलाई शाखा द्वारा अनादृत किया गया था। परिवाद में यह आरोप लगाया गया है कि कोरबा स्थित परिवादी के बैंककार ने परिवादी को ऊपरवाल बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक भिलाई शाखा द्वारा चेक के अनादृत

होने के संबंध में सूचित किया। परिवाद में निहित ऐसे तथ्यात्मक आरोपों पर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि परिवादी द्वारा अपने बैंककार को कोरबा में चेक प्रस्तुत किया गया था, जिससे परिवादी को ऊपरवाल बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक भिलाई शाखा द्वारा चेक के अनादृत होने के संबंध में संसूचना प्राप्त हुई, इसलिए, कोरबा स्थित न्यायालय के पास 1881 के अधिनियम की धारा 138 के उपबंधों आलोक में अपराध का संज्ञान लेने की क्षेत्रीय अधिकारिता थी। तर्क यह है कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 के खंड (क) के अंतर्गत उपबंधित तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर, बैंक को चेक प्रस्तुत करने की आवश्यकता, परिवादी द्वारा कोरबा में अपने बैंककार को चेक प्रस्तुत करने की तिथि को भी समाविष्ट करेगी, इसलिए, कोरबा स्थित न्यायालय के पास प्रकरण की सुनवाई करने की क्षेत्रीय अधिकारिता होगी।

9. 1881 के अधिनियम की धारा 138 की वैधानिक योजना का सूक्ष्म विश्लेषण यह प्रकट करता है कि धारा 138 के खंड (क) के अंतर्गत प्रावधानित चेक की प्रस्तुति की आवश्यकता केवल ऊपरवाल बैंक को संदर्भित करती है और किसी अन्य को नहीं। उपबंध का स्पष्ट पठन यह दर्शाता है कि यह किसी व्यक्ति द्वारा बैंककार के पास संधारित किये जा रहे खाते की बात करता है। उपबंध के उत्तरवर्ती भाग में,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह "उस बैंक" द्वारा उस चेक की वापसी और उसके पश्चात "उस बैंक" शब्दों के बारे में बात करता है। खंड (क) यह भी इंगित करता है कि चेक "उस बैंक" को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसलिए, शुरुआत में आर्टिकल "ए"(**a**) और उसके बाद निश्चित आर्टिकल "द" (**the**) के प्रयोग पर आधारित उपर्युक्त उपबंध की तर्कसंगत और तार्किक व्याख्या यह दर्शाती है कि बैंक को चेक प्रस्तुत करने की आवश्यकता ऊपरवाल बैंक को संदर्भित करती है न कि किसी अन्य बैंक को। यद्यपि, प्राप्तकर्ता चेक को ऊपरवाल बैंक में प्रस्तुति के लिए कहीं भी स्थित अपने बैंककार के पास जमा कर सकता है, प्राप्तकर्ता द्वारा अपने स्वयं के बैंककार के पास चेक का ऐसा जमा किया जाना 1881 के अधिनियम की धारा 138 के अर्थ में बैंक को चेक की प्रस्तुति के समान नहीं है। प्राप्तकर्ता का बैंककार, जिसके पास ऐसा चेक जमा किया जाता है, वह केवल ऊपरवाल बैंक को चेक की प्रस्तुति के उद्देश्यों के लिए प्राप्तकर्ता के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और वह बैंक, जिसके पास प्राप्तकर्ता द्वारा चेक जमा किया जाता है, ऊपरवाल बैंक का अभिकर्ता नहीं बन जाता है। प्राप्तकर्ता का बैंककार केवल प्राप्तकर्ता के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और समाशोधन के लिए ऊपरवाल बैंक को चेक प्रस्तुत करता है। 1881 के अधिनियम की धारा 138 की वैधानिक योजना के अंतर्गत चेक का अनादरण ऊपरवाल बैंक द्वारा चेक के अनादरण को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, जब प्रस्तावित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बैंककार ने ऊपरवाल बैंक को समाशोधन के लिए चेक प्रस्तुत किया और ऊपरवाल बैंक द्वारा उसे अनादृत कर दिया गया और फिर, प्राप्तकर्ता के बैंक द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तो यह ऊपरवाल बैंक द्वारा ऐसे अनादरण की केवल एक सूचना है। अपने बैंककार द्वारा प्राप्तकर्ता को यह अग्रगामी सूचना कि उसके पक्ष में जारी किया गया चेक ऊपरवाल बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया है, उस स्तर पर चेक का अनादरण नहीं होगा, अपितु यह केवल ऊपरवाल बैंक द्वारा चेक के अनादरण की सूचना है। इसलिए, ऊपरवाल बैंक द्वारा चेक का अनादरण अनिवार्य रूप से वहां होता है जहां चेक के लेखीवाल का खाता संधारित होता है। इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 की वैधानिक योजना के अंतर्गत परिकल्पित बैंक को चेक की प्रस्तुति का अर्थ केवल ऊपरवाल बैंक को चेक की प्रस्तुति है, जहां चेक के लेखीवाल का खाता संधारित किया गया था और इसमें प्राप्तकर्ता का वह बैंककार शामिल नहीं होगा, जहां प्राप्तकर्ता ऊपरवाल बैंक को समाशोधन हेतु भेजने के लिए चेक जमा करता है। यही दृष्टिकोण बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा **प्रभु दयाल मोदी** (उपरोक्त) के प्रकरण में अपनाया गया है। इसलिए, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को उस संबंध में खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अगला प्रश्न, जो विचारार्थ उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या कोरबा स्थित न्यायालय के पास अपराध का संज्ञान लेने की क्षेत्रीय अधिकारिता थी । दोनों प्रकरणों में किए गए प्रकथन यह दर्शाते हैं कि परिवादी ने कोरबा से सूचना जारी कराई थी। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **के. भास्करन** (उपरोक्त) और **श्रीमती शमशाद बेगम** (उपरोक्त) के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अत्याधिक अवलंब लिया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य** (उपरोक्त) के प्रकरण में अनुक्रमित निर्णय का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि कोरबा में अपराध कारित होने के किसी अन्य कार्य के बिना केवल सूचना देने से कोरबा स्थित न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **के. भास्करन** (उपरोक्त) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश की कंडिका 14, 15 और 16 में अभिनिर्धारित किया:-

> 14. "अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध केवल कई कार्यों के संयोजन से ही पूर्ण हो सकता है। निम्नलिखित वे कार्य हैं जो उक्त अपराध के घटक हैं: (1) चेक का आहरण, (2) बैंक को चेक की प्रस्तुति, (3) ऊपरवाल बैंक द्वारा चेक का बिना संदाय वापस किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाना, (4) चेक की राशि के संदाय की मांग करते हुए चेक के लेखीवाल को लिखित में सूचना देना, (5) सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लेखीवाल की भुगतान करने में विफलता।

15. यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त सभी पाँचों कार्य एक ही इलाके में किए गए होने चाहिए। यह संभव है कि उन पाँच कार्यों में से प्रत्येक कार्य पाँच अलग-अलग इलाकों में किया जा सकता है। परंतु संहिता की धारा 138 के अंतर्गत अपराध की पूर्णता के लिए उपर्युक्त सभी पाँचों का संयोजन एक अनिवार्य शर्त है। इस संदर्भ में संहिता की धारा 178(डी) का संदर्भ उपयोगी है। इसे नीचे उद्धृत किया गया है:

> "178. (क)-(ग) * * *
>
> (घ) जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर

अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है, यदि पाँच अलग-अलग कार्य पाँच अलग-अलग इलाकों में किए गए थे, तो पाँच स्थानीय क्षेत्रों में से किसी एक में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत अपराध के विचारण का स्थान बन सकता है। दूसरे शब्दों में, परिवादी उन स्थानीय क्षेत्रों के अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों में से किसी एक को चुन सकता है जिनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उन पाँच कार्यों में से कोई एक कार्य किया गया था। चूंकि विस्तार इतना व्यापक और इतना विस्तृत है, इसलिए अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध के संबंध में अधिकारिता संबंधी प्रश्न उठाना एक व्यर्थ की प्रक्रिया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपर्युक्त निर्णय का अवलंब लेते हुए, **श्रीमती शमशाद बेगम** (उपरोक्त) के प्रकरण में एक अनुवर्ती निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को मान्य रखा। उपर्युक्त प्रकरण में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल

न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपराधों के घटकों में से एक चेक की राशि के भुगतान की मांग करते हुए चेक के लेखीवाल को लिखित में सूचना देना था। उक्त कार्यवाही मंगलौर अधिकारिता के भीतर हुई थी, और इसलिए, मंगलौर न्यायालय के पास अधिकारिता थी। सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय **श्रीमती शमशाद बेगम** (उपरोक्त) के प्रकरण में उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए, **के. भास्करन** (उपरोक्त) के प्रकरण में पूर्व निर्णय का अवलंब लेते हुए पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हालांकि, हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (उपरोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के एक अनुवर्ती निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने के. भास्करन (उपरोक्त) के प्रकरण में इस एकमात्र प्रश्न पर विचार करते हुए अपने पूर्व निर्णय की जांच की कि क्या केवल दिल्ली से सूचना भेजना अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लेने के लिए वाद-कारण को जन्म देगा। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि, जिसमें उपर्युक्त प्रश्न पर विचार किया गया था, पर निम्नानुसार ध्यान दिया गया था ।

> 12. "परिवाद याचिका यह नहीं दर्शाती है कि चेक दिल्ली में प्रस्तुत किया गया था। यह उस संबंध में पूरी तरह से मौन है। चेक के संग्रह की सुविधा निश्चित रूप से चंडीगढ़ में उपलब्ध थी और उक्त सुविधा का लाभ उठाया गया था।

दिनांक 24-6-2003 का प्रमाण पत्र, जिसे संज्ञान लेने वाले विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, यदि विचार में लिया भी जाए तो यह नहीं दर्शाता है कि चेक सिटीबैंक की दिल्ली शाखा में प्रस्तुत किया गया था। हमारे पास चंडीगढ़ में चेक प्रस्तुत किए जाने का अनुमान लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। निर्विवाद रूप से, चेक का अनादरण भी चंडीगढ़ में ही हुआ था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. सर्वोच्च न्यायालय ने फिर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

13. "यह कहना एक बात है कि सूचना भेजना परिवाद को बनाए रखने के लिए घटकों में से एक है, परंतु यह कहना दूसरी बात है कि चेक का अनादरण अपने आप में एक अपराध गठित करता है। इस प्रकरण को प्रमाणित करने के उद्देश्य से कि अभियुक्त ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध कारित किया है, इसके घटकों को प्रमाणित करना आवश्यक है। अपराध किससे गठित होगा, यह मुख्य उपबंध में बताया गया है। हालांकि, उसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साथ संलग्न परंतुक कुछ और शर्तें अधिरोपित करता है जिन्हें अपराध का संज्ञान लिए जाने से पूर्व पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के साथ संलग्न परंतुक (क), (ख) और (ग) में निर्धारित अपराध के गठन के घटकों को अभियुक्त के पक्ष में लागू करने की मंशा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सूचना की प्राप्ति अंततः परिवाद दायर करने हेतु वाद-कारण को जन्म देगी। क्योंकि केवल सूचना प्राप्त होने पर ही अभियुक्त अपने जोखिम पर राशि का भुगतान करने से इनकार कर सकता है। इसलिए धारा 138 के परंतुक के खंड (ख) और (ग) को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। केवल सूचना जारी करना अपने आप में वाद-कारण को जन्म नहीं देगा अपितु सूचना का संप्रेषण देगा।"

15. **पंजाब राज्य विरुद्ध अमर सिंह हरिका, एआईआर 1966 एससी 1313** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय का अवलंब लेते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए, सूचना अभियुक्त द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया

कि इसे कुछ स्थितियों में प्राप्त किया गया माना जा सकता है और आगे यह कि शब्द "संप्रेषण" का अन्य बातों के अलावा अर्थ "ज्ञात करना, सूचित करना, अवगत कराना आदि" है।

16. संहिता की धारा 177 में निहित उपबंधों की भी जांच की गई। उपर्युक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में सूचना की तामील के पहलू और अभियुक्त द्वारा 15 दिनों की अवधि के भीतर मांग राशि का संदाय करने में विफलता पर जोर दिया और यह कि सूचना देने को तामील पर कोई वरीयता प्राप्त नहीं हो सकती है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 20. "निस्संदेह सभी संविधियों का कड़ाई से अनुप्रयोग होना चाहिए हैं, परंतु ऐसा करते समय उसके मूल सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक न्यायालय को अधिकारिता केवल तभी प्राप्त होती है जब वाद-कारण उसके अधिकारिता के भीतर उद्भूत हुआ हो। इसे अभियुक्त की ओर से किसी भी चूक या कृत्य द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपराध के घटक और अपराध के एक भाग के कारित होने के बीच भी अंतर रखा जाना चाहिए। जबकि एक परक्राम्य लिखत के धारक द्वारा सूचना जारी

करना आवश्यक है, तब उसकी तामील भी अनिवार्य है। केवल ऐसी सूचना की तामील होने और उसके पश्चात 15 दिनों की अवधि के भीतर अभियुक्त द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने में विफलता पर ही अपराध का कारित होना पूर्ण होता है। इसलिए, सूचना देने को तामीली पर कोई वरीयता प्राप्त नहीं हो सकती है। केवल उसी दृष्टिकोण से डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड विरुद्ध गैलेक्सी ट्रेडर्स एंड एजेंसीज लिमिटेड में सूचना की तामील पर जोर दिया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास प्रकरण का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं है।

17. वर्तमान प्रकरण में, मांग की सूचना और सूचना की प्राप्ति के संबंध में दोनों परिवादों में जो प्रकथन किया गया है वह यह है कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त को एक निश्चित तिथि को सूचना प्राप्त हुई और उस तारीख से 15 दिन बीतने के बाद भी अनादृत चेक की राशि संदत्त नहीं की गई।

18. **हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्**य (उपरोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में, सूचना देने को उसकी तामीली

पर कोई वरीयता प्राप्त नहीं हो सकती है, और इसलिए, दुर्ग स्थित न्यायालय के पास अधिकारिता होगी न कि कोरबा स्थित न्यायालय के पास। **के. भास्करन** और **श्रीमती शमशाद बेगम** (उपरोक्त) के प्रकरण में निर्णय का अवलंब लेते प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि **के. भास्करन** (उपरोक्त) के प्रकरण में निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य** (उपरोक्त) के अपने अनुवर्ती निर्णय में संदर्भित किया गया था। **श्रीमती शमशाद बेगम** (उपरोक्त) के प्रकरण में निर्णय **के. भास्करन** (उपरोक्त) के प्रकरण में निर्णय का अवलंब लेते हुए पारित किया गया था। उपर्युक्त विचार और वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जैसा कि ऊपर बताया गया है, विशेष रूप से यह कि सूचना देने के अलावा अपराध कारित करने का कोई भी भाग कोरबा में होना कथित नहीं है, **हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य** (उपरोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान प्रकरण में लागू होगा।

19. इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि केवल दुर्ग स्थित न्यायालय के पास ही क्षेत्रीय अधिकारिता होगी और इसलिए, कोरबा स्थित न्यायालय के पास अपराध का संज्ञान लेने की कोई क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं होगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. उपर्युक्त निष्कर्ष को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए इस प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं है कि परिवाद परिसीमा द्वारा वर्जित है या नहीं। तदनुसार दोनों याचिकाएं (विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक 198/2010 और 200/2010) स्वीकार की जाती हैं। कोरबा स्थित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष दायर परिवाद और संबंधित दण्डाधिकारी के समक्ष लंबित सभी संबंधित आपराधिक कार्यवाही एतद्द्वारा अभिखंडित की जाती हैं। हालांकि, प्रत्यर्थी-परिवादी विधि के अनुसार सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि परिवादी द्वारा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष ऐसा परिवाद दायर किया जाता है, तो वह 1881 के अधिनियम की धारा 142 के खंड (ख) के साथ संलग्न परंतुक में निहित उपबंधों का आश्रय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इस आदेश की एक प्रति संबद्ध प्रकरण में भी रखी जाए।

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ratna Sahu, Advocate